खण्ड-क अपठित अंश

अध्याय - 1 अपठित गद्यांश-बोध

स्मरणीय बिन्दु

'अपठित' का सामान्य अर्थ है—'बिना पढ़ा हुआ' अर्थात् जो नियमित अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक का हिस्सा न हो। इस प्रकार 'अपठित' वे रचना-अंश होते हैं, जिन्हें गद्य या पद्य के रूप में हमने पहले न पढ़ा हो। ये विचार प्रधान गद्यांश अथवा काव्यांश होते हैं।

अपठित का महत्व

अपठित रचनाओं का अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसी कारण इन्हें प्रश्न-पत्र का भाग बनाया जाता है।

1. अपठित रचनाएँ भाषा, लेखन-शैली तथा शब्द-भंडार को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। इनके अंतर्गत आने वाले मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ इत्यादि की समझ हमारी भाषिक क्षमता को उत्कृष्ट तथा अभिव्यक्ति क्षमता को उत्तम बनाती है।
2. अपठित बोध से विचार, चिंतन तथा अवलोकन के गुणों का विस्तार होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी किसी रचना को समझने तथा उस पर अपने विचार देने में सफल होते हैं।
3. अपठित बोध का अभ्यास स्वाध्याय की भावना विकसित करता है। इससे पढ़ने के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा होती है।
4. अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश व काव्यांश से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं।

अपठित गद्यांश का अर्थ

'गद्य का ऐसा अंश, जिसे पहले नहीं पढ़ा गया हो' अपठित गद्यांश कहा जाता है। अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय को समझने, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण करने तथा भाषा-शैली के बीच के संबंधों को खोजने संबंधी विद्यार्थियों की क्षमता को परखना होता है। उन्हें शाब्दिक अर्थ के साथ-साथ भावार्थ को भी समझना चाहिए। भावार्थ को समझना पाठ बोध के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पाठ्यपुस्तकों पर आधारित गद्यांशों के उत्तर देना अधिक सरल होता है, किन्तु अपठित गद्यांश का उत्तर देना पठित गद्यांशों की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि यह निर्धारित पाठ्यक्रम का अंश नहीं होता है। इस प्रकार के गद्यांश प्राय: हिन्दी की विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों आदि से चुने जाते हैं।

अपठित गद्यांश को समझना

गद्यांश के शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ को ठीक से समझने के लिए भाषा के व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है जिसके लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, विराम-चिह्न प्रयोग, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का भी समुचित ज्ञान होना आवश्यक है।

अपठित गद्यांश को देने का उद्देश्य

- विद्यार्थियों की अर्थग्रहण क्षमता में वृद्धि हो सके।
- विद्यार्थियों की भाषा एवं शैली के बीच अतंसंबंध एवं अंत: संबंध को खोजने संबंधी क्षमता में वृद्धि की जा सके।
- विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का परीक्षण किया जा सके।
- विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता को समृद्ध किया जा सके।
- विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किया जा सके।
- विद्यार्थियों की अध्ययनशीलता, एकाग्रता तथा संवेदनशीलता का परीक्षण किया जा सके।

अपठित गद्यांशों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक दो-तीन बार पढ़ना चाहिए। इससे उस गद्यांश का मूल भाव समझने में आसानी रहेगी।
2. गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों तथा पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित विकल्प को रेखांकित कर लेना चाहिए।
3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही खोजना चाहिए।
4. उत्तर का चयन करते समय प्रसंग को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।
5. शीर्षक का चयन करते समय यह ध्यान रहे कि वह गद्यांश की मूल भावना को प्रकट करता हो।

6. शीर्षक का चयन करते समय प्रथम या अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
7. शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक होना चाहिए।
8. गद्यांश के प्रसंग में वाक्य अथवा शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए।

❑❑

अध्याय - 2 अपठित काव्यांश बोध

स्मरणीय बिन्दु

अपठित काव्यांश का अर्थ

'कविता का ऐसा अंश, जिसे कभी नहीं पढ़ा गया हो।' अपठित काव्यांश कहा जाता है। अपठित काव्यांश का मुख्य उद्देश्य किसी विषय पर लिखी गई काव्य-पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानना, उन शब्दों एवं पंक्तियों के भाव को समझना, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण करना, काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य को समझना, भाषा एवं शैली की पहचान करना आदि से संबंधित विद्यार्थियों की क्षमता को परखना है।

गद्यांश की तुलना में काव्यांश की भाषा कुछ कठिन होती है, इसलिए विद्यार्थियों को काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना कठिन लगता है। अगर सही तरीके से मस्तिष्क से विचार करेंगे तो उसका अर्थ स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है।

अपठित काव्यांश को समझना

अपठित काव्यांश के अन्तर्गत काव्यांश में निहित भावार्थ को अच्छी तरह से समझकर ही उसके मूल भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। काव्यांश के शब्दार्थ एवं भावार्थ को समुचित ढंग से समझने के लिए व्याकरण एवं काव्यगत पक्ष की जानकारी होनी आवश्यक है। विद्यार्थियों को अलंकार, रस, शब्द-शक्ति, काव्यगत विशेषताओं की अच्छी समझ होनी चाहिए।

अपठित काव्यांश को देने का उद्देश्य

- काव्य-पंक्तियों को समझने एवं उनमें छिपे अर्थ को जानने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को परखा जा सके।
- उनकी भाव ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो सके।
- काव्य पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य की समझ आ सके।
- उनके बौद्धिक स्तर, भाषा एवं शैली का ज्ञान हो सके।
- विद्यार्थियों की अध्ययनशीलता, एकाग्रता, कल्पनाशीलता तथा संवेदनशीलता का परीक्षण किया जा सके।

अपठित काव्यांश को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. अपठित काव्यांश को कम-से-कम दो या तीन बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका मूल भाव समझा जा सके।
2. काव्यांश में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए।
3. शीर्षक का चयन करते समय ध्यान रहे कि शीर्षक काव्यांश की मूल भावना को प्रकट करता हो।
4. शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक एवं सार्थक होना चाहिए।

❑❑

खण्ड-'ख' कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन

अध्याय - 3 दी गई स्थिति/घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन

स्मरणीय बिन्दु

किसी स्थिति या घटना पर लिखना रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। रचनात्मक लेखन के लिए भाषा और संबंधित विषय पर पकड़ अथवा जानकारी होनी आवश्यक है। दी गई स्थिति अथवा घटना पर लिखने के लिए विषय, संदर्भ, दिशा की परिधि (सीमा) निर्धारित करना आवश्यक है, यह रचनात्मक लेखन, लेखन कौशल का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसके कौशल के अभाव में दी गई स्थिति अथवा घटना पर एकाग्रचित्त

होकर नहीं लिखा जा सकता। रचनात्मक लेखन के लिए समसामयिक विषयों के अतिरिक्त प्रचलित रिवाजों, सामाजिक परिस्थितियों, सरकारी, गैर-सरकारी प्रमुख नीतियों आदि की भी जानकारी होनी चाहिए।

रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक ही विषय पर बहुत से लोगों के विचार बहुत प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी विषय पर यदि किसी एक प्रश्न के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं तो यह सफल रचनात्मक लेखन का उदाहरण है।

❑❑

अध्याय - 4 औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन

स्मरणीय बिन्दु

पत्रों का हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मनोभावों, विचारों को एक-दूसरे तक पहुँचाते हैं। सगे-सम्बन्धियों से सम्पर्क बनाये रखते हैं। अनेक घरेलू बातों से लेकर देशकाल की बातों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। वर्तमान युग में पत्रों का प्रयोग व्यापारिक सम्बन्धों में भी होने लगा है। अत: पत्र लिखते समय हमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिए।

पत्र लेखन में निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए—

(1) पत्र अपनी आयु, योग्यता, पद, सम्बन्ध और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए।

(2) पत्र की भाषा, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।

(3) उद्देश्य और आशय की अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रारम्भ से अन्त तक विनम्रता, स्नेह और शिष्टाचार का पत्र निर्वाह में करना चाहिए।

(4) अशिष्ट भाषा का प्रयोग पत्र में कदापि नहीं करना चाहिए।

(5) पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए।

(6) पत्र में किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होना चाहिए।

(7) पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि सुस्पष्ट ढंग से होने चाहिए।

पत्र के भाग— पत्र के पाँच भाग होते हैं—

(1) पत्र में सबसे ऊपर बायें हाथ की ओर भेजने वाले को अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए।

(2) मूल विषय से पूर्व पत्र पाने वाले के साथ अपने संबंध के अनुसार बायीं ओर उचित सम्बोधन लिखना चाहिए। व्यापारियों और कार्यालय से सम्बन्धित पत्रों में सम्बद्ध व्यक्ति का पद सहित पूरा पता अथवा कार्यालय का पता लिखना चाहिए, उसे आदरपूर्वक सम्बोधित करना चाहिए।

(3) पत्र को आरम्भ करने के बाद मुख्य विषय पर आना चाहिए। सभी बातें क्रमपूर्वक लिखनी चाहिए।

(4) मुख्य विषय समाप्त होने के पश्चात् अन्त में पत्र के बायीं ओर सम्बोधन के अनुसार भवदीय, आपका आदि शब्द लिखकर, भेजने वाले का पूरा नाम लिखना चाहिए।

(5) लिफाफे या पोस्टकार्ड पर पाने वाले का पूरा पता, पिनकोड नम्बर सहित लिखना चाहिए।

पत्रों के प्रकार—पत्र मुख्यत: दो प्रकार के हो सकते हैं; जैसे—अनौपचारिक, औपचारिक।

अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आदि पत्र आते हैं तथा औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयी पत्र आते हैं। इस प्रकार पत्रों को चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) व्यक्तिगत पत्र—ऐसे पत्र जो माता-पिता, भाई-बहन अथवा किसी अन्य प्रियजन या मित्र को लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं।

(2) सामाजिक पत्र—सामाजिक स्तर पर विवाह, मृत्यु, जन्म-दिवस, गृह प्रवेश आदि अवसरों पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखे अथवा छपवाए जाते हैं, वे सामाजिक पत्र कहलाते हैं।

(3) व्यावसायिक पत्र—किसी व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में दूसरे व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, कारखानेदारों अथवा फर्मों को जो पत्र लिखे जाते हैं, वे व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र कहलाते हैं।

(4) कार्यालयी पत्र—जो पत्र सरकारी अथवा गैर-सरकारी कार्यालयों द्वारा अन्य कार्यालयों, विभागों, व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं।

❑❑

अध्याय - 5 व्यावहारिक लेखन

स्मरणीय बिन्दु

पत्रकारिता और साहित्य जहाँ एक ओर विद्यार्थी को जिम्मेदार नागरिक और रचनात्मक व्यक्तित्त्व देने में सहायक होते हैं, वहीं व्यावहारिक लेखन की जानकारी इस जिम्मेदारी के निर्वहन में मददगार होगी, साथ ही प्रयोजनमूलक हिंदी के विशाल फलक को जानने का जरिया बन सकती है। व्यावहारिकहिंदी को बच्चे व्यवहार के माध्यम से जानें, विषय के प्रति उनकी अभिरुचि भी बनी रहे, साथ ही कार्यालयी प्रक्रिया से अनजान बच्चों के मस्तिष्क में कार्यालयी स्थितियों की उचित तस्वीर अंकित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है कि आज का व्यावहारिक लेखन अपने नाम से अलग एक औपचारिक लेखन मात्र बनकर रह गया है। कामकाजी जीवन के रोजमर्रा की भाषा को मशीनी एकरसता से निकालकर उसकी धड़कन सुनने की जरूरत बड़े दिनों में महसूस की जा रही है। यह अध्याय इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है।

(i) प्रतिवेदन (Report)

प्रतिवेदन शब्द का अर्थ है—घटना की ठीक-ठाक सूचना। सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को प्रतिवेदन कहा जाता है। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों से संबंधित कार्य, परिणाम, जाँच या प्रगति, आदि की सही-सही एवं समग्र जानकारी देना होता है।

प्रतिवेदन के प्रकार

प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें मुख्यत: निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं—

- सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित प्रतिवेदन
- संस्था का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन
- व्यावसायिक प्रगति या स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन
- जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन
- किसी समाचार (घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधियों आदि) से संबंधित प्रतिवेदन

प्रतिवेदन लेखन के तत्त्व

किसी घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुति होने के बावजूद इसके लेखन में अनेक महत्वपूर्ण तत्त्व होते हैं, जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

1. तथ्यपरकता—जब तक प्रतिवेदक विभिन्न तथ्यों को पाठकों या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह प्रतिवेदन नहीं होता। अत: यह आँकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होता है।

2. प्रत्यक्ष अनुभव—प्रतिवेदन लेखन प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। प्रतिवेदक घटनास्थल पर पहुँचकर घटना का जायजा लेता है, तथ्य एकत्रित करता है तथा आसपास के माहौल की जाँच करता है। यह प्रतिवेदन लेखन का अत्यंत अनिवार्य पक्ष है।

3. संक्षिप्तता—किसी भी प्रतिवेदन का एक आवश्यक गुण उसकी संक्षिप्तता है। कम शब्दों में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करने वाला प्रतिवेदन श्रेष्ठ माना जाता है।

4. रोचकता एवं क्रमबद्धता—यदि घटना का सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए, तो विचारों का तारतम्य टूटता है। इससे तथ्य आपस में उलझ सकते हैं और उनकी रोचकता कम हो सकती है। अत: तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाना अच्छा समझा जाता है।

(ii) प्रेस विज्ञप्ति (Press Release)

कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुँचाया जाता है। निर्णय में उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर विलंब होता है तो उसका कारण भी बताया जाता है। इसे हम विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं—प्रेस विज्ञप्ति (press release) वह प्राथमिक तरीका है जिससे आप अपनी कंपनी के समाचारों का मीडिया में संचार कर सकते हैं। संवाददाता, संपादक और निर्माता आमतौर पर नए और असामान्य उत्पादों, कंपनी रुझानों, सुझावों और संकेतों और दूसरी प्रगति के समाचारों के लिए विज्ञप्तियों पर निर्भर होते हैं। वास्तव में, ज्यादातर बातें हम समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं या व्यापार प्रकाशनों में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, वे प्रेस विज्ञप्ति के रूप में उत्पन्न होती हैं। प्राय: संपादक हर सप्ताह सैकड़ों प्रेस विज्ञप्तियाँ प्राप्त करते हैं, जिनमें से अधिकतर को, अंत में, "फाइल" कर दिया जाता है।

एक आदर्श प्रेस विज्ञप्ति के पाँच भाग होते हैं—

1. **विज्ञप्ति की हैडलाइन या पहला वाक्य**—अधिकतर विज्ञप्तियों में यह एक ऐसा वाक्य होता है जिसे हम पूरे कार्यक्रम का सार या संक्षिप्त विवरण कह सकते हैं। इसके 6 भाग होते हैं—तारीख, शहर, स्थान, समय, आयोजक एवम् आयोजन। विज्ञप्ति के प्रारूप के अनुसार ये 6 भाग विज्ञप्ति की पहली पंक्ति में होने चाहिए।

2. विज्ञप्ति का प्रारम्भिक विवरण— इसमें समाचार का संक्षिप्त लेकिन पूर्ण विवरण होता है। विवरण 5-7 वाक्यों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह विज्ञप्ति का आरंभ है और इसमें कार्यक्रम का प्रसंग, प्रस्तुति विवरण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, संचालनकर्ता एवम् आभार प्रदर्शनकर्ता का उल्लेख किया जाता है।

3. विज्ञप्ति का मध्य भाग—इस भाग में कार्यक्रम का विवरण दिया जाता है जो कि 8-10 वाक्यों में लिखा जाता है।

4. विज्ञप्ति का अंतिम भाग—इस भाग में मुख्य कलाकारों, प्रबंधकों, पदाधिकारियों एवम् कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों का उल्लेख किया जाता है।

5. सावधानियाँ—शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। समाचार की भाषा संतुलित एवं सीधी होनी चाहिए। प्रशंसात्मक शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। विश्लेषण व उपमा वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषागत त्रुटियों का ध्यान रखना चाहिए।

(iii) परिपत्र (Circular)

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। परिपत्र की कुछ विशेषताएँ निम्न हैं—

1. सदैव सरकारी प्रयोजन से ही विनियमित होते हैं।
2. सदैव मुख्यालय से ही प्रेषित होते हैं।
3. सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखा जाता है।
4. अधिकांशत: मुद्रित होता है।

परिपत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. परिपत्र में पत्र संख्या, मंत्रालय का नाम, पता एवं दिनांक वही लिखना चाहिए जो सरकारी पत्र में लिखा जाता है।
2. इसका प्रारूप सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है।
3. परिपत्र को प्रेषित करने वाला (प्रेषक) एक ही व्यक्ति होता है, जबकि इसको प्राप्त करने वाले कई अधिकारी होते हैं।
4. विषय पर लिखना आरम्भ करने से पहले 'परिपत्र' शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए।
5. महोदय लिखकर, संबोधित कर सकते हैं।
6. इसके पश्चात् मुख्य विषय शुरू करते हैं।
7. अंत में भवदीय लिखकर प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखा जाना चाहिए।

(iv) कार्यसूची

किसी भी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची 'कार्यसूची' (एजेन्डा) कहलाती है। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है।

विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों में विचार- विमर्श कर निर्णय में पहुँचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं। जब किसी विषय पर विचार-विमर्श करना हो अथवा निर्णय लेना हो, समिति के सब सदस्य एक निश्चित समय में, पूर्व निश्चित स्थान पर बैठक का आयोजन करते हैं। बैठक प्रारम्भ होने से पहले विचारणीय मुद्दों की एक क्रमवार सूची बनाई जाती है जिसे कार्यसूची (एजेंडा) कहते हैं।

कार्यसूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि केवल उन विषयों पर चर्चा की जाए जो विचारणीय हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है साथ में, विषय से भटकने की स्थिति भी नहीं आती।

कार्यसूची का प्रारूप

दिनांक ..... को दोपहर 3 : 00 बजे आयोजित होने वाली विभागीय समिति की बैठक की कार्यसूची।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।
3. दिनांक ..... को समाप्त तिमाही रिपोर्टों के आधार पर किए गए कार्यों की समीक्षा।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

कार्यसूची पर चर्चा सामान्यत: सचिव द्वारा की जाती है।

❑❑

अध्याय - 6 शब्दकोश

स्मरणीय बिन्दु

शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, परिभाषा और प्रयोग आदि का सन्निवेश होता है। शब्दकोश एकभाषीय, द्विभाषीय हो सकते हैं। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है। जैसे—अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, देवनागरी में या ऑडियो संचिका के रूप में। कुछ शब्दकोशों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। अलग-अलग कार्य-क्षेत्रों के लिए अलग-अलग शब्दकोश हो सकते हैं। जैसे—विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विधिक (कानूनी) शब्दकोश, गणित का शब्दकोश आदि।

सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। शब्दों और उनके चयन के लिए शब्दों का संकलन आवश्यक है। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझ कर आरंभिक लिपियों के उदय से पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा रखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्दों को इकट्ठा कर उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और यह शब्दकोश बन जाता है।

सबसे पहले शब्दकोश अथवा शब्द संकलन भारत में बने। भारत में, प्रजापति कश्यप का 'निघंटु' संसार का प्राचीनतम शब्दकोश है। शेष विश्व में, अक्कादियाई संस्कृति का शब्दकोश एक प्राचीन शब्दकोश है।

❑❑

अध्याय - 7 जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम

स्मरणीय बिन्दु

संचार जीवन की निशानी है। जीवित इंसान संचार करता ही रहता है। संचार के ज़रिये ही वह परिवार व समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है अर्थात् दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान-प्रदान संचार कहलाता है। यह लिखित, मौखिक या दृश्य-श्रव्य माध्यमों से होता है। स्रोत या संचारक, कूटीकृत या एनकोडिंग, संदेश, चैनल या माध्यम, प्राप्तकर्ता या रिसीवर द्वारा डीकोडिंग करना, लीड बैक, शोर आदि संचार के तत्व हैं।

एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण संचार के कई रूप या प्रकार भी हैं। जैसे—सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक, अंत:वैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक समूह संचार, जनसंचार आदि।

जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद न करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के ज़रिये समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। ये तकनीकी या यांत्रिक माध्यम अखबार, रेडियो, टी.वी., सिनेमा या इंटरनेट आदि हैं। जनसंचार के समाचार सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत होती है। इसमें संचारक व प्राप्तकर्ता का सीधा सम्बन्ध नहीं होता। प्राप्तकर्ता या पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल कार्य करते हैं। जैसे किसी समाचारपत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, उपसंपादक आदि तय करते हैं कि कितना छपेगा और क्या छपेगा, किस तरह छपेगा।

जनसंचार के कई कार्य हैं जैसे—सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना आदि।

जनसंचार की मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया अर्थात् पत्रकारिता है। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, जबकि आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य व्यावसायिक और प्रोफेशनल हो गया।

जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ रही है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, सरकार के गलत फैसलों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं व उसके काम-काज की निगरानी करते हैं, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता के प्रति आवाज़ उठाकर लोगों को जागरूक बनाते हैं। सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव भी होने के कारण इन माध्यमों को ग्रहण करने से पहले एक जागरूक पाठक, दर्शक व श्रोता को अपनी आँख, कान व दिमाग खुले रखने चाहिए ताकि वह इनका सही विश्लेषण कर सके।

पत्रकारिता के विविध आयाम

स्मरणीय बिन्दु

अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव भी बहुत प्रबल होता है। समाचार और व्यापक अर्थ में यही जिज्ञासा ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा न हो तो समाचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पत्रकारिता का विकास जिज्ञासा शान्त करने की कोशिश के रूप में हुआ। पत्रकारिता द्वारा ही हमें सूचनाएँ या समाचार मिलते हैं। सच तो यह है कि अपने देश की व बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों द्वारा ही मिलती है। इस प्रकार पत्रकारिता का सम्बन्ध सूचनाओं को संकलित और सम्पादित कर आम पाठकों तक पहुँचाने से है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं होती। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ, पूरे समाज को प्रभावित करती हैं।

समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट आदि ऐसे समाचार माध्यम है जिनसे हमें दुनियाभर के समाचार प्राप्त होते हैं। सामान्य तौर पर किसी घटना, विचार या समस्या जब समाज के बड़े वर्ग से सम्बन्धित होती है तो यह कहा जा सकता है कि वह समाचार बनने योग्य है। फिर भी उस घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने की सम्भावना तब और अधिक हो जाती है जिसमें निम्न तत्व शामिल होते हैं—नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठकवर्ग, नीतिगत ढाँचा।

पत्रकारिता, अपनी पूरी स्वतन्त्रता के बावजूद सामाजिक व नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। अत: पत्रकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचारसंहिता का पालन करें। जिससे समाज में अराजकता व अशान्ति न फैले।

समाचार संगठनों में जहाँ समाचारों के संकलन का कार्य रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें सम्पादित कर लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सम्पादकीय टीम पर होती है। सम्पादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। इसके लिए वह सम्पादन के सिद्धान्तों का पालन करता है। वे सिद्धान्त हैं—तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, सन्तुलन, स्रोत।

समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका सम्पादक, सहायक सम्पादक, समाचार सम्पादक, मुख्य उपसम्पादक और उपसम्पादक आदि निभाते हैं।

पत्रकार की चार बैसाखियाँ होती हैं। ये संकट या दुविधा के समय पत्रकार के काम आती हैं। ये हैं—सच्चाई, सन्तुलन, निष्पक्षता व स्पष्टता।

इस प्रकार पत्रकारिता के मुख्य तीन आयाम हैं—पत्रकारीय लेखन, समाचार लेखन व सम्पादकीय लेखन। इनके अलावा कुछ अन्य आयाम हैं—सम्पादकीय पृष्ठ, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ।

पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। कुछ प्रकार हैं—खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता।

देश-दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार मीडिया द्वारा ही प्राप्त होती है। परन्तु आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से गम्भीर व वास्तविक सूचनाओं (समाचारों) के स्थान पर, उपभोक्ताओं को सतही मनोरंजन से बहलाकर, अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। इसी कारण इसकी साख में तेजी से ह्रास भी होता जा रहा है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है।

❑❑

खण्ड-'ग' (1) आरोह भाग-1 काव्य भाग और गद्य भाग

(अ) काव्य भाग

अध्याय - 8 काव्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण सम्बन्धी प्रश्नोत्तर

1. कबीर

- हम तौ एक एक करि जांनां
- संतों देखत जग बौराना

कवि परिचय

भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'वाणी का डिक्टेटर' कहा है अर्थात् उनका अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण था। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, 'बन पड़े तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर।'

निराकार ब्रह्म के उपासक कबीर की रचनाओं में नाथों, सिद्धों एवं सूफी-संतों का प्रभाव दिखता है। अनपढ़ कबीर किताबी ज्ञान की अपेक्षा आँखों देखे सत्य एवं अनुभव को प्रमुखता देते हैं और इसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान या साक्ष्य (साखी) कहते हैं। यह ज्ञान उन्होंने देशाटन एवं सत्संग से प्राप्त किया। कर्मकांड के विरोधी, समाज-सुधारक कबीर जाति-भेद, वर्ण-भेद, संप्रदाय-भेद, आदि की निंदा करते हुए प्रेम, सद्भाव एवं समानता का समर्थन करते थे।

❑❑

2. मीरा

- मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई
- पग घुंघरू बांधि मीरां नाची

कवि परिचय

सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ी महत्त्वपूर्ण भक्त कवयित्री मीरा भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य एवं पति मानती रहीं। उनका विश्वास था कि महापुरुषों के साथ संवाद (अर्थात् सत्संग) से ज्ञान प्राप्त होता है और संसार से मुक्ति मिलती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर-दूर तक यात्राएँ कीं। उन्होंने लोक-लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। न तो पर्दा प्रथा का पालन किया और न ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने-गाने में कभी हिचक महसूस की। इस अर्थ में रूढ़ियों से ग्रस्त तत्कालीन युग के समाज में वे स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरीं।

मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। उनकी कविता का प्रधान गुण सादगी एवं सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित-संपादित 'मीरा मुक्तावली' से लिए गए दोनों पदों में मीरा ने श्रीकृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है।

❑❑

3. वे आँखें

—सुमित्रानन्दन पंत

कवि परिचय

छायावाद के महत्त्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने वाले पंत जी की कविता प्रकृति एवं मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है।

भाषा के प्रति अत्यधिक सचेत पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत जी चित्रभाषा (बिंबात्मक भाषा) की संज्ञा देते हैं।

प्रस्तुत कविता 'वे आँखें' पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग-युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दु:खद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केन्द्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुश्चक्र में फँसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दु:खों की परतों को खोलती तथा स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्ग चेतना का खाका प्रस्तुत करती है।

❑❑

4. घर की याद

—भवानी प्रसाद मिश्र

कवि परिचय

कविता और साहित्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले प्रमुख कवियों में शामिल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। वास्तव में, सहज लेखन एवं सहज व्यक्तित्व का नाम ही है—भवानी प्रसाद मिश्र। इस सहजता का संबंध गाँधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गाँधी भी कहा गया है। सहजता और लोक के अत्यधिक करीब रहने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जिस विषय को भी उठाते हैं, उसे अत्यंत घरेलू बना देते हैं—आँगन के पौधे के साथ-साथ शाम एवं दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु को भी आत्मीय स्वर देने वाले भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रौढ़ प्रेम की कविताएँ भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम शृंगारिकता की अपेक्षा सहजीवन के सुख-दु:ख एवं प्रेम की व्यंजना है।

प्रस्तुत कविता 'घर की याद' में घर के मर्म का उद्घाटन हुआ है। कवि को जेल-प्रवास के दौरान घर से दूर होने की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति-संसार में उसके परिजन एक-एक कर शामिल होते चले जाते हैं। वस्तुत: घर की अवधारणा की सार्थक एवं मार्मिक स्मृति ही प्रस्तुत कविता की केन्द्रीय संवेदना है।

❑❑

5. गज़ल

—दुष्यंत कुमार

कवि परिचय

गज़ल की विधा को हिंदी में अकेले अपने दम पर प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यंत कुमार ने साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दुहराए जाते हैं। गजल एक ऐसी विधा है, जिसमें सभी शेर अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। आमतौर पर गजल के शेरों में केन्द्रीय भाव का होना आवश्यक नहीं है।

प्रस्तुत गज़ल एक खास मन:स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है, जो दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह 'साये में धूप' से ली गई है। इस गज़ल में राजनीति एवं समाज में जो कुछ चल रहा है, उसे खारिज करने तथा विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव केन्द्रीय सूत्र बन गया है।

❑❑

6. आओ, मिलकर बचाएँ

—निर्मला पुतुल

कवि परिचय

आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरने वाली कवयित्री निर्मला पुतुल की कविताओं के केन्द्रों में कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं एवं व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि स्थितियाँ अपने पैनेपन के साथ मौजूद हैं।

निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं तथा संथाली समाज के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव

और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्त्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ एवं शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। निर्मला पुतुल की 'आओ, मिलकर बचाएँ' कविता में इन दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है।

❑❑

अध्याय - 8 गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

1. नमक का दारोगा

—प्रेमचंद

लेखक परिचय

हिन्दी कथा-साहित्य के शिखर पुरुष प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उनका लेखन कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं, जिन्होंने कहानी एवं उपन्यास की विधा को कल्पना एवं रूमानियत के धुँधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी, किस्सागोई तक सीमित न रहकर पढ़ने-पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। उनके यहाँ हिंदुस्तानी (हिन्दी-उर्दू मिश्रित) भाषा अपने पूरे ठाट-बाट तथा जातीय स्वरूप के साथ आई है।

प्रेमचंद 'पंच परमेश्वर' जैसी कहानी तथा 'सेवासदन' जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। **आदर्शोन्मुख यथार्थवाद** स्वयं प्रेमचंद की गढ़ी हुई संज्ञा है, जो कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जिसमें कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं एवं अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी एवं मनोवांछित समाधान तक पहुँचा देती है। इसका सबसे आदर्श उदाहरण प्रस्तुत बहुचर्चित कहानी 'नमक का दारोगा' है।

पाठ का सार

मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित 'नमक का दारोगा' नामक कहानी मानव-मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्त्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कहानी का सार इस प्रकार है—

कहानी का प्रारंभ नमक के विभाग की चर्चा से होता है। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें नौकरी पाने के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई समाप्त करके नौकरी की खोज में निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अतः अपने पुत्र को घर की दशा बताते हुए समझाते हैं कि उसकी नौकरी लगना बहुत जरूरी है। वह उसे ऐसा काम ढूँढ़ने को कहते हैं जिसमें ऊपरी आय भी हो, क्योंकि उनका मानना है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते-घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर अपने पिताजी की बातें सुनकर और आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। भाग्य से उसकी नौकरी नमक विभाग में दारोगा के पद पर लग जाती है, जिसकी खबर सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस पद में अच्छे वेतन के साथ ऊपरी आय भी थी।

मुंशी वंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से सभी को मोह लिया था। एक रात वे यमुना नदी पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाजें सुनाई दीं। वे फौरन हाथ में तमंचा लिए उस ओर गए। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। मुंशी जी ने डाँटते हुए पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? एक आदमी ने जवाब दिया—दातागंज के पंडित अलोपीदीन की। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लाखों रुपयों का लेन-देन था और क्षेत्र में बहुत नाम था। लेकिन जब वंशीधर को पता चला कि गाड़ियों में नमक भरा है। उन्होंने गाड़ियाँ रोक लीं। यह खबर पंडित जी के पास पहुँची। उन्हें धन की ताकत पर पूर्ण विश्वास था। अतः धन के नशे में चूर वह घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने वंशीधर से बड़ी ही चालाकी से पूछा—बाबूजी, गाड़ियाँ क्यों रोक दीं ? लेकिन वंशीधर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी हुक्म है। अब पंडित जी ने रिश्वत का जाल फेंका, लेकिन वंशीधर उसमें न फँसे और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। यह उनके जीवन का पहला अवसर था। जब धर्म, धन का ऐसा निरादर कर रहा था। फिर भी उन्होंने एक प्रयास और किया और अपने आदमी को वंशीधर को रुपए देने को कहा, लेकिन वंशीधर ने उन्हें निराश ही किया। उन्होंने धन की मात्रा को और बढ़ाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया। उन्होंने हृदय में ग्लानि, क्षोभ अथवा लज्जा के कारण गरदन झुका रखी थी। चारों ओर हलचल मची हुई थी, लेकिन अदालत पहुँचने पर उन्हें सहानुभूति मिलने लगी। वहाँ मौजूद अफसर अमले, चपरासी, चौकीदार सभी धन के भक्त थे। उन्हें बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध होने वाला था। दूसरी ओर वंशीधर अकेले सत्य के बल पर वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्हें न्याय अपने से दूर दिख रहा था। न्याय के उस मंदिर में तो पक्षपात की आँधी चल रही थी। उनकी सोच सही साबित हुई। मुकदमा प्रारंभ हुआ और अलोपीदीन के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उल्टा वंशीधर को उनकी उद्दंडता और विचारहीनता की दुहाई देकर भविष्य में होशियार रहने की चेतावनी दी गई।

इस फैसले से सभी प्रसन्न हो गए। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंशीधर जब बाहर निकले तो उन्हें चारों ओर से व्यंग्यबाणों की बौछार सहनी पड़ी। आज उन्हें एक खेदजनक अनुभव हुआ था। उन्होंने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना तो अनिवार्य था। एक सप्ताह के भीतर उनकी नौकरी से छुट्टी हो गई। यह उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा का दंड ही था। घर पहुँचे तो पिता की ढेरों कटु बातें सुननी पड़ीं। वृद्ध माता को भी बहुत दु:ख हुआ और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात तक न की। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। वंशीधर के पिता बैठे राम-नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ राजसी ठाट-बाट के साथ पंडित अलोपीदीन पहुँचे। उन्हें देखकर मुंशी जी ने दौड़कर दंडवत किया और लल्लो-चप्पो की बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को भी कोसने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और बोले—कुलतिलक और पूर्वजों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें? फिर वे वंशीधर से बोले कि मैंने हजारों रईस देखे और कई उच्च पदाधिकारियों से काम कराए। मैंने सबको अपने धन के बल पर गुलाम बनाया, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया। इसलिए मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। वंशीधर ने अलोपीदीन का सत्कार स्वाभिमानपूर्वक किया। वह समझ रहे थे कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया और शरमाते हुए बोले—यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर-माथे पर। यह सुन अलोपीदीन ने अपनी प्रार्थना स्वीकारने की बात कहते हुए एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर को उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते थे और बदले में अच्छा वेतन, भत्ता और अनेक सुविधाएँ देना चाहते थे। वंशीधर ने जब यह सब पढ़ा तो आँखों में आँसू भर कंपित स्वर में बोले—पंडित जी, मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हँसकर कहा—मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है।

वंशीधर ने फिर कहा कि मुझमें इतनी बुद्धि, विद्या नहीं है, जो ऐसा महान कार्य कर सकूँ, लेकिन अलोपीदीन ने कलम उन्हें पकड़ाते हुए कहा कि मुझे विद्वता, मर्मज्ञता, अनुभव और कार्य-कुशलता की चाह नहीं है, मुझे वह मोती मिल गया है जिसके आगे योग्यता और विद्वता की चमक फीकी है। इसलिए बिना समय नष्ट किए दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परन्तु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आँखें भर आईं। उन्होंने पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और काँपते हाथों से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया।

2. मियाँ नसीरुद्दीन

—कृष्णा सोबती

लेखक परिचय

हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति दर्ज कराने वाली लेखिका कृष्णा सोबती की कृति 'हम-हशमत' का संस्मरण के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान है। कम लेखन को विशिष्ट लेखन मानने वाली कृष्णा सोबती ने अपने संयमित लेखन के बावजूद अनेक कालजयी रचनाएँ लिखीं। भारत-पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के 'झूठा-सच', राही मासूम रजा के 'आधा गाँव' और भीष्म साहनी के 'तमस' के साथ-साथ कृष्णा सोबती का 'जिंदगीनामा' एक विशिष्ट उपलब्धि है। साहित्य अकादमी सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित कृष्णा सोबती ने अपनी साफ-सुथरी रचनात्मकता से एक नया पाठक वर्ग निर्मित किया है। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा-भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बाँकपन और पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं।

पाठ का सार

आधुनिक हिन्दी में नई पीढ़ी की सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका कृष्णा सोबती के 'हम हशमत' नामक शब्द चित्र से संकलित 'मियाँ नसीरुद्दीन' एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ-साफ उभारा है। इसका सार निम्न प्रकार है—

मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई हैं। लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटियामहल के गढ़ैया मुहल्ले की तरफ वहाँ एक छोटी-सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देखकर रुक गई। पूछने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ छप्पन किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं।

लेखिका ने अन्दर झाँका तो मियाँ नसरुद्दीन उन्हें ग्राहक समझकर बोले —फरमाइए। लेखिका ने उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आग्रह किया। मियाँ ने पूछा कि तुम अखबारनवीस तो नहीं हो? उत्तर न में मिलने पर मियाँ ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हाँ कर दी। लेखिका ने पूछा—तरह-तरह की रोटियाँ बनानी आपने कहाँ से सीखीं? मियाँ नसीरुद्दीन ने क्रोधित नजरों से लेखिका को देखा और कहा कि नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? यह तो हमारा खानदानी पेशा है। मैंने जो भी सीखा, अपने पिता से ही सीखा। हमारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर हम उनके ठीये पर आकर बैठ गए।

लेखिका ने प्रश्न किया—आपके पिता.....

मियाँ ने जवाब दिया—हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढैयावाले के नाम से और हमारे दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन।

लेखिका ने पूछा—आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो!

मियाँ ने कहा—काम करने से आता है नसीहतों से नहीं।

लेखिका ने कहा—तो मियाँ आपने सीधे ही नानबाई का हुनर सीख लिया?

मियाँ बोले—पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, आँच देना सीखा।

कहने लगे—'तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है।' पहले हमने खोंमचा लगाया, तभी आज यहाँ बैठे हैं।

लेखिका ने पूछा—क्या यहाँ और भी नानबाई हैं?

मियाँ ने कहा—बहुतेरे, पर खानदानी नहीं, कहने लगे कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा—मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने? उन्होंने ऐसी चीज बनाई जो बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही पकवान का नाम पूछने पर कहने लगे—हम नाम नहीं बताएँगे—कहा गया है खानदानी नानबाई कुएँ में भी रोटी पका सकता है।

लेखिका ने फिर पूछा—आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्चीखाने में काम तो किया होगा?

मियाँ ने कहा—कह दिया ना कि बादशाह सलामत के हुक्म पर पकवान बनाए जाते थे?

लेखिका—दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे?

इस पर मियाँ खीज गए और कहा—

जहाँपनाह बादशाह सलामत के यहाँ।

लेखिका—कौन बहादुरशाह जफर कि.....

मियाँ—आपने बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है क्या? फिर मियाँ अपने शागिर्द को भट्टी सुलगाकर काम करने के लिए कहते हैं।

लेखिका के मन में बहुत से और प्रश्न आए कि पूछ ले आपके बेटे-बेटियाँ हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर अलग तरह की रंगत देखकर प्रश्न न पूछने का फैसला किया।

लेखिका ने पूछा—यहाँ इस भट्टी पर कौन-सी रोटियाँ पका करती हैं?

मियाँ ने कहा—बाकराखानी, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, आदि।

एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध गया और कहने लगे—'उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने-खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है—निकाली तन्दूर से—निगली और हजम।'

3. गलता लोहा

—शेखर जोशी

लेखक परिचय

हिन्दी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ 'नई कहानी' आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी कहानियों में समाज का मेहनतकश एवं सुविधा विहीन तबका जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा-शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते एवं प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडम्बनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान रहा है।

पाठ का सार

समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली प्रस्तुत कहानी 'गलता लोहा' इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना ही कम है, गांभीर्य उतना ही अधिक। नई कहानी के सशक्त कहानी. कार शेखर जोशी की कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। 'गलता लोहा' में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलते और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया है। कहानी का सार इस प्रकार है—

मोहन (पुरोहित वंशीधर का पुत्र) लम्बा बेंट वाला हँसुआ (दराँती) लेकर खेत के किनारे उग आई काँटेदार झाड़ियों को काटने के लिए घर से बाहर निकला। पुरोहित वंशीधर निष्ठावान व संयमी व्यक्ति थे, परन्तु अब बुढ़ापे में उतना कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं कर पाते थे। आज उन्हें गणनाथ में जाकर चन्द्रदत्त नामक यजमान के यहाँ रुद्रीपाठ करना था, परन्तु दो मील की सीधी चढ़ाई करके उनके घर जाना वंशीध ार के बस की बात अब नहीं थी।

मोहन इन सभी बातों को समझता था, लेकिन इस तरह के अनुष्ठानों का उसे अभ्यास नहीं था। मोहन को लगा कि दराँती की धार अब काम करने योग्य नहीं है।

मोहन के सहपाठी मित्र धनराम का आफर (भट्टी) रास्ते में ही था। वह उस आफर पर दराँती की धार तेज करवाने हेतु गया और कनस्तर पर बैठ गया। वहाँ बैठे-बैठे उसकी कारीगरी को पारखी नजर से देख रहा था।

मोहन व धनराम अपने बचपन को याद करते हुए स्कूली समय में की गई शैतानियों, कहानियों, मास्टरों की बातों में खो गए। मोहन ने धनराम से पूछा—'मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। धनराम ने कहा—हाँ पिछले वर्ष ही गुजरे, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था।' दोनों विद्यालय की बातों में लग गए। मास्टर जी आवाज देकर अवश्य पूछते थे—'मोहन नहीं आया आज?'

मोहन मास्टर जी का चहेता शिष्य था। मास्टर ने उसे स्कूल का मॉनीटर बना रखा था। वही सुबह-सुबह 'हे प्रभो आनन्ददाता! ज्ञान हमको दीजिए' का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। विद्यालय के कमजोर छात्रों को दण्ड देने का भार भी उन्होंने मोहन पर डाल रखा था। वे आदेश देते थे—'पकड़ इसका कान, और लगवा इससे उठक-बैठक।' धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। फिर भी धनराम मोहन से प्रेम करता था।

मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊँचा करेगा।

धनराम केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। एक दिन धनराम को तेरह का पहाड़ा न सुना पाने के कारण छड़ी से मार खानी पड़ी थी। जब छुट्टी के समय तक तेरह का पहाड़ा याद न हुआ तो मास्टर साहब ने कहा—'तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे! विद्या का ताप कहाँ लगेगा, इसमें?'

धनराम जब हाथ-पैर चलाने लायक हुआ ही था तो उसके पिता गंगाराम ने उसे लोहे का काम सिखाना प्रारम्भ कर दिया था। एक दिन अचानक गंगाराम चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत सम्भाल ली।

प्राइमरी स्कूल की सीमा लाँघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो वंशीधर तिवारी का हौंसला भी बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा-लिखाकर बड़ा आदमी बनाने के स्वप्न देखने लगे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़-लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे।

आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गाँव से चार मील की दूरी पर था तथा रास्ते में एक नदी पड़ती थी। फिर भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। मोहन लम्बा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका-माँदा घर लौटता। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गाँव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था और छुट्टियों में नदी का पानी जब उतर जाता तो वह गाँव लौट आता था। एक बार जब मोहन घर लौट रहा था तो नदी पार करते समय नदी का पानी बढ़ गया, बड़ी कठिनाई से वह सकुशल घर पहुँचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे।

बिरादरी के एक सम्पन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। बातों-बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के सम्बन्ध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर यह अच्छी तरह पढ़-लिख सकेगा।

वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात् भगवान मिल गए हों। अब लखनऊ में मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएँ जिन्हें वह चाची व भाभी कहता था, का हाथ बंटाने के अतिरिक्त धीरे-धीरे वह मुहल्ले की सभी चाचियों व भाभियों के लिए काम-काज में हाथ बँटाने का साधन बन गया।

रमेश दफ्तर में बड़ा बाबू था उसके समक्ष मोहन की हैसियत एक घरेलू नौकर की थी। उसका नाम साधारण से स्कूल में लिखवा दिया गया। एकदम नए वातावरण और रात-दिन के काम के बोझ के कारण गाँव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में उसे कभी-कभी गाँव जाने का मौका मिलता। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। घरवालों को वास्तविक स्थिति बतलाकर दुःखी नहीं करना चाहता था।

आठवीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाँव आया हुआ था जब वह छुट्टियों के बाद लखनऊ पहुँचा तो उसने अनुभव किया की रमेश के परिवार के सभी लोग उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। उसको हाथ का काम सिखाने हेतु किसी तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। दो वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन नौकरी के लिए चक्कर काटने लगा।

जब वंशीधर को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुःख हुआ। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ-साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन व धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन की दराँती की धार तेज कर दी मोहन वहीं बैठा रहा, मानो उसे जाने की कोई जल्दी न हो।

सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना-बैठना नहीं होता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के कारण मोहन गाँव की इन मान्यताओं से अपरिचित-सा हो गया था।

धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लगाकर गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में मोहन ने झट से उसकी मदद करके उसे गोलाकार बना दिया।

मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती व आकस्मिक ढंग से था कि धनराम को टोकने का मौका ही नहीं मिला। वह मोहन को देखता रहा और उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का भट्टी पर बैठकर हाथ डालने का हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर-उधर देखता रहा। मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जाँच रहा था, उसकी आँखों में एक सर्जक की चमक थी—जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार-जीत का भाव।

4. स्पीति में बारिश

—कृष्ण नाथ

लेखक परिचय

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कृष्ण नाथ ने एक यायावरी तो वैचारिक धरातल पर की और दूसरी सांसारिक अर्थ में। अर्थशास्त्र के विद्वान तथा बौद्ध दर्शन के मर्मज्ञ कृष्ण नाथ हिंदी एवं अंग्रेजी साहित्य में समान अधिकार रखते हैं। वैचारिक धरातल की यायावरी ने उन्हें साहित्य सृजन की ओर धकेला, तो सांसारिक अर्थ की यायावरी ने विभिन्न स्थलों के भ्रमण की ओर। जब उन्होंने अपनी यात्रा को शब्दों में बाँधना प्रारंभ किया, तो यात्रा-वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई।

कृष्ण नाथ के यात्रा-वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण आदि का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ स्वयं यात्रा करने लगता है। अपने यात्रा वृत्तांत वे स्थल का शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ हैं, जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है।

पाठ का सार

'स्पीति में बारिश' श्री कृष्ण नाथ द्वारा लिखित एक यात्रावृत्त है। इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का वर्णन है। पाठ का सार इस प्रकार है—

'स्पीति' हिमाचल प्रदेश के लाहुल-स्पीति जिले की तहसील है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। मध्य युग में प्राय: लद्दाख मंडल, और कभी कश्मीर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय: स्वतंत्र रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। भूगोल इसका संहार भी करता है। स्पीति में जनसंख्या बहुत कम है। 1971 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 7,196 है व क्षेत्रफल 12,015 वर्गकिलोमीटर है (यह क्षेत्रफल लाहुल के साथ जोड़कर है)। इस प्रकार स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर चार से भी कम है।

लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जैसे का तैसा मिला। स्पीति के लोग नोनो (स्थानीय शासक)को अपना राजा समझते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे।

1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दरजा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे-मोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। जिसका केन्द्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल-स्पीति उसके उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है।

स्पीति चारों तरफ से ऊँचे-ऊँचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। कहा जाता है कि यहाँ कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊँचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर-नारियों की व्यथा का आर्तनाद है।

लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएँ होती हैं। कहीं मैंने षड् ऋतुओं का बखान किया है। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से दिसम्बर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता, वसंत में दिन गरम होता है रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है? इसकी कल्पना तो यहाँ रहकर ही की जा सकती है।

स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। दिसम्बर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल-मई तक रहती है, नदी-नाले सब जम जाते हैं, तेज हवाएँ चलती हैं। मुँह, हाथ जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं।

स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। यदि कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुन्दर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी वर्षा ऋतु आपके मन की सब साध पूरी करें। तो शायद स्पीति के नर-नारी यही पूछेंगे की यह देवता कौन है? कहाँ रहता है? यहाँ क्यों नहीं आता?

स्पीति में कभी-कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती धरती सूखी, ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं—दो किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। स्पीति नदी का तट चौड़ा होने के कारण किसी काम नहीं आता। स्पीति में कोई फल नहीं होता। स्पीति नंगी और वीरान है।

वर्षा यहाँ एक घटना और सुखद संयोग है। लेखक के वहाँ रहते रात को वर्षा हो गई। सुबह उठते ही उसने सुना कि 'उनकी यात्रा शुभ है,' स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है।

5. जामुन का पेड़

—कृश्नचंदर

लेखक परिचय

प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृश्नचंदर का नाम महत्त्वपूर्ण है। कृश्नचंदर उर्दू कथा-साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए अत्यधिक चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृश्नचंदर ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्ताज, लेख आदि बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में अधिक बनी। वे अपनी रचनाओं में काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण एक अलग मुकाम बनाते हैं।

पाठ का सार

'जामुन का पेड़' श्री कृश्नचंदर द्वारा लिखित एक व्यंग्य-कथा है। इससे सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा-कथा है। कहानी का सार इस प्रकार है—

एक रात जोर से आँधी आने पर सेक्रेटरियेट के लान में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे जब माली ने देखा तो उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ दिखाई दिया।

माली चपरासी के पास, चपरासी क्लर्क के पास और क्लर्क सुपरिण्टेंडेंट के पास सूचना देने गया। सभी दौड़कर बाहरी लॉन में उस आदमी के पास आ गए। सभी क्लर्क जामुन के पेड़ के फल के बारे में बातचीत करने लगे, परन्तु उस आदमी के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। माली सुपरिण्टेंडेंट से कहता है—मगर यह आदमी? "चपरासी कहने लगा कि मर गया होगा, इतने भारी पेड़ के नीचे आया है।" दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा—"नहीं मैं जिन्दा हूँ।" माली ने कहा—पेड़ हटाकर जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। बहुत से माली इकट्ठे होकर भारी पेड़ के तने को हटाना चाहते हैं तो सुपरिण्टेंडेंट कहते हैं—"ठहरो! मैं अण्डर सेक्रेटरी से पूछ लूँ।"

इस प्रकार पेड़ हटाने के लिए सुपरिण्टेंडेंट अण्डर-सेक्रेटरी के पास, अण्डर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा—इस प्रकार एक ने, दूसरे से कुछ कहा—फाइल चलती रही, आधा दिन बीत गया।

दोपहर को कुछ क्लर्कों ने पेड़ हटा देने का निश्चय किया, इतने में सुपरिण्टेंडेंट फाइल लिए भागा-भागा आया, कहने लगा—"हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से सम्बन्धित हैं, यह समस्या कृषि विभाग की है। फाइल को मैं कृषि विभाग भेज रहा हूँ।"

दूसरे दिन उत्तर आया कि पेड़ जहाँ गिरा है, वहाँ की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, परन्तु व्यापार विभाग ने पुनः लिखा कि पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। शाम को जवाब आया कि यह एक फलदार पेड़ है इसलिए हम यह फाइल हार्टीकल्चर डिपार्टमेण्ट के हवाले कर रहे हैं।

रात को दबे हुए आदमी को दाल-भात खिलाया गया। रात को पुलिस का पहरा लगा दिया गया। माली ने दबे हुए आदमी से पूछा तुम्हारा कोई वारिस है तो बताओ मैं उसे खबर कर देता हूँ। उसने कहा—मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हार्टीकल्चर विभाग से जवाब आया कि हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता।

एक मनचले ने कहा—आदमी ही को काटकर निकाल लिया जाए। दबे आदमी ने कहा—'मगर इस तरह तो मैं मर जाऊँगा।' पर मनचले ने कहा आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है।

फाइल को मेडिकल डिर्पाटमेण्ट में भेजा गया। सर्जन आया उसने देखकर कहा—इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन सफल भी होगा। मगर आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। तब, माली ने दबे हुए आदमी को कहा कि कल सैक्रेटरियेट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। सब काम ठीक हो जाएगा। दबे हुए आदमी ने आह भरकर सुन्दर तरीके से शायरी की—

"ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।"

माली ने पूछा तुम शायर हो! उसने हाँ में जवाब दिया। यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। लोगों का झुंड का झुंड उस शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा, परन्तु जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो फाइल कल्चरल डिपार्टमेण्ट में भेजी गई।

फाइल कल्चरल डिपार्टमेण्ट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँची। "सेक्रेटरी ने आकर पूछा कि क्या तुम कवि हो किस उपनाम से शोभित हो?"

दबे हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया—"ओस'। सेक्रेटरी अपने विभाग में जाकर सब कुछ कह सुनकर अगले दिन भागा-भागा आया और दबे हुए व्यक्ति को बोला—"मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें केन्द्रीय शाखा का मेम्बर चुन लिया लिया है। यह लो चुनाव पत्र।"

दबे व्यक्ति ने कहा—"मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो।" सेक्रेटरी ने कहा—"हम यह नहीं कर सकते, हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं।" कवि ने रुक-रुककर कहा—"अभी मैं जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो।"

सेक्रेटरी बोला, "यह काम फॉरेस्ट डिपार्टमेण्ट का है।"

दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेण्ट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि इस पेड़ को दस साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह पेड़ काटा गया तो पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जायेंगे। मामला प्रधानमंत्री तक पहुँचा। शाम पाँच बजे स्वयं सुपरिण्टेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और चिल्लाया "सुनते हो प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जायेगा और तुम इस संकट से छुटकारा पा जाओगे।"

मगर कवि का हाथ ठंडा था, आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लम्बी पाँत उसके मुँह में जा रही थी।

उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी।

6. भारत माता

—जवाहरलाल नेहरू

लेखक परिचय

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे सिपाही थे, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत निर्माण के कुशल शिल्पी भी थे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएँ बनाईं, जिनमें आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्र शामिल थे। बच्चों के बीच 'चाचा नेहरू' के रूप में लोकप्रिय तथा शांति, अहिंसा एवं मानवता के हिमायती जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति एवं पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया।

पाठ का सार

'भारतमाता' पाठ 'हिन्दुस्तान की कहानी' नामक पुस्तक का पाँचवा अध्याय है। अंग्रेजी से इसे हिन्दी में 'हरिभाऊ उपाध्याय' ने रूपांतरित किया है। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की धरती, संस्कृति और यहाँ के लोगों को 'भारतमाता' की संज्ञा दी है। पाठ का सार इस प्रकार है—नेहरू जी प्रायः भ्रमण पर रहते थे, एक जलसे से दूसरे जलसे में जहाँ जनता से उनकी चर्चा का विषय भारत या हिंदुस्तान ही रहता था। उन्हें महसूस हुआ कि शहर में रहने वाले लोग अधिक सयाने थे, वे भारत या हिंदुस्तान के बारे में सुनना पसन्द नहीं करते थे। उनको किसी दूसरी तरह की खुराक की आवश्यकता थी। भारत के बारे में केवल किसान ही सुनना पसन्द करते थे। नेहरू जी पूरे भारत के किसानों को यही बताते थे कि पूरा देश जिसकी आजादी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं एक है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक ही है।

नेहरू जी को भारत के उत्तर-पश्चिमी, पूर्व-दक्षिण में सभी किसानों की एक जैसी ही तकलीफें महसूस होती थीं, जैसे—गरीबी, कर्जदारी, पूँजीपतियों के शिकंजे, जमींदारों व महाजनों के कड़े लगान व सूद, पुलिस के जुल्म। ये सभी बातें विदेशी सरकार द्वारा हम पर लादी गई थीं। इनसे सभी छुटकारा पाना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि सभी लोग हिंदुस्तान की ऐसी हालत के लिए सोचें। नेहरू जी जलसे में चीन, स्पेन, अबीसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी करते थे, उन्हें, अमेरिका की प्रगति के बारे में भी बताते। पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा-कहानियों में इस देश की पूरी व्यथा लिखी हुई थी, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते थे जिन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा कर रखी थी वे हिंदुस्तान का पूरा वृतांत बता देते थे।

सन् 1930 के बाद हमारे देश में अर्थिक तंगी पैदा हो गई थी, नेहरू जी जब उन्हें जलसों में दूसरे देशों के अन्याय के बारे में बताते थे तो वे समझ जाते थे कि हमारे साथ विदेशियों ने कितने जुल्म किए हैं।

कभी-कभी नेहरू जी का स्वागत—'जय माता दी' के नारे से करते थे। नेहरू जी पूछते थे—'भारतमाता कौन है?' परन्तु इस प्रश्न को सुनकर वहाँ वे हैरान हो जाते थे। आश्चर्य से नेहरू जी को देखने लगते थे। एक मोटे ताजे किसान ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया कि 'भारत माता से उनका मतलब धरती माता है।' कभी-कभी लोग कहते आप ही उत्तर बताइए। नेहरू जी कहते—हिंदुस्तान वह सब कुछ है, जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत, हिंदुस्तान के सभी लोग जो देश में फैले हुए हैं—भारत माता दरअसल यही सब लोग हैं। 'भारत माता की जय' से मतलब हुआ इन लोगों की जय। नेहरू जी सभी को समझाते कि तुम इस भारत माता का अंश हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। वे ये सब सुनकर प्रसन्न हो जाते। उन्हें यूँ लगता मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो।

पूरक पाठ्य पुस्तक
वितान-भाग-1

अध्याय - 9 पाठों की विषय-वस्तु पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ : लता मंगेशकर

—कुमार गंधर्व

लेखक परिचय

पद्मविभूषण, कालिदास सम्मान आदि जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित कुमार गंधर्व किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दस वर्ष की उम्र से गायिकी की मंचीय प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुन्दर सामंजस्य है, जिसका अद्‌भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे-बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बाँधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी।

प्रोफेसर देवधर और अंजनीबाई मालपेकर से संगीत की शिक्षा लेने वाले कुमार गंधर्व एकमात्र ऐसे संगीतज्ञ हुए हैं, जिन्होंने मालवांचल की बोली (मालवी) और उसके लोकगीतों को बंदिशों का स्वरूप दिया। लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत से भी उच्च स्तर पर ले जाने वाले कुमार गंधर्व कालिदास के बाद मालवा की सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति हैं।

संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है, जिसने एक महान् शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिन्दी में लिखी गई यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरालत पर ला रखने का साहस है। यह एक ऐसी परख है, जो न शास्त्रीय है और न सुगम। बस एक संगीत है, गानपन की पहचान है।

पाठ का सार

लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। लता मंगेशकर के 'गानपन' के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानि-फिल्मी संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है। हर मोड़ पर आने वाले उतार-चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है।

लता : एक विलक्षण गायिका

लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया-लता मंगेशकर! नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता उससे आगे निकल गई।

लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है।

लता के स्वर में गानपन

शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लोग लता के गायन को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण है—लता का गानपन, उनका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। गानपन लता के स्वर में शत-प्रतिशत है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है।

नूरजहाँ की गायकी में जहाँ एक मादक उत्तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत-दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक-दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं।

लेखक का मत इसके विपरीत है। उसके अनुसार, लता ने मुग्ध शृंखला के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत-दिग्दर्शकों ने उनसे ऊँची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है।

शास्त्रीय संगीत और चित्रपट (फिल्मी) संगीत

लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएँ होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के तीन-साढ़े तीन मिनट के गान और तीन-साढ़े तीन घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दरजे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तीन घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक तीन मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं।

चित्रपट संगीत का महत्त्व

लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र-शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुँचाया है। आज लोगों को शास्त्र-शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएँ, झंझटें और चुनौतियाँ अलग तरह की हैं। यहाँ नव-निर्माण की संभावनाएँ भी बहुत हैं। बड़े-बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूँजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में, चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है।

2. राजस्थान की रजत बूँदें

—अनुपम मिश्र

लेखक परिचय

पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़े अनुपम मिश्र हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं। इनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। मुख्यत: पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर कार्य करने के कारण उनकी रचनाओं में पर्यावरण संबंधी विषय एवं ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उपस्थित रहता है। पानी, वर्षा, अकाल जैसी समस्याओं पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया और इससे संबंधित काफी कुछ लिखा भी। उनकी रचनाएँ लोक परंपराओं एवं ग्रामीण संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हैं। वस्तुत: पर्यावरण उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है—साँस भरने को, जिजीविषा को मकसद देता है।

अनुपम मिश्र की भाषा सरल एवं सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिसमें आँचलिक शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। ग्रामीण शब्दावली तथा लोक जीवन से जुड़े मुहावरों के साथ विषय की गंभीरता तथा शैली के प्रवाह का जीवंत रूप उनके गद्य को एक नई आभा से मंडित कर देता है।

पाठ का सार

यह रचना एक राज्य-विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान भी कराती है। यह रचना धीरे-धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है, जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है।

रेत में पानी की तलाश और कुंई निर्माण की प्रक्रिया

लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुंई का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुंई खोदने के लिए चेलवांजी बसौली से खुदाई कर रहा है। अंदर भयंकर गर्मी है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच-बीच में मुट्ठीभर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताजी हवा अंदर जाती है और गहराई में जमी दमघोंटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर काँसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है।

चेलवांजी कुएँ की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुंई, कुएँ से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुंई में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भू-जल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है।

कुंई के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश

चूँकि कुओं का पानी खारा होता है इसलिए पीने के काम नहीं आता, लेकिन रेतीली भूमि में दस-पन्द्रह हाथ से पचास-साठ हाथ नीचे खड़िया पत्थर की मोटी परत पाई जाती है जो वर्षा जल को नीचे जाने से रोकती है।

इस पट्टी का पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम रेत में नहीं समाता। यह पट्टी बारिश के पानी को गहरे खारे जल में मिलने से रोकती है। रेत में जमा इसी वर्षा जल को छोटी-छोटी कुंइयों के द्वारा काम में लिया जाता है।

राजस्थान में पानी के प्रकार

राजस्थान में पानी तीन रूपों में मिलता है। पहला रूप पालर अर्थात् बरसात के बाद नदी, तालाब में रोका गया पानी। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी अर्थात् जमीन में काफी नीचे पाया जाने वाला खारा पानी और इसका तीसरा रूप रेजाणी पानी अर्थात् पालर पानी व पाताल पानी के बीच मिलने वाला पानी। यहाँ वर्षा को मापने के लिए 'रेजा' शब्द का उपयोग होता है। खड़िया पट्टी के कारण ही रेजाणी पानी, खारे पानी से मिलकर खारा होने से बचा रहता है। जिसे कुंई बनाकर प्रयोग में लेते हैं। कुंइ में रेत के कणों के बीच जमा पानी बूँद-बूँद कर एकत्र होता है। कुँइ का मुँह छोटा रखा जाता है। यदि कुंई गहरी होती है तो पानी के लिए घिरनी या चरखी भी लगाई जाती है जिसे गरेडी, या फरेडी भी कहते हैं। इन कुंइयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। यह खड़िया पट्टी पूरे राजस्थान में न होकर चुरु बीकानेर, जैसेलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही पायी जाती है। वहाँ पीने के पानी का यही प्रचलित स्रोत है।

3. आलो-आँधारि

—बेबी हालदार

लेखक परिचय

एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा 'आलो-आँधारि के' माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारम्भ की, जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की और न स्टडीरूम की, बल्कि यथार्थ की आँच से तपती उस रेगिस्तानी जीवन की है, जिसने हर दिन, हर क्षण उसे एक नई सीख दी, एक नया अनुभव-संसार दिया।

'आलो-आँधारि' नामक आत्मकथांश की प्रस्तुति के माध्यम से नायिका और लेखिका बेबी हालदार ने अपने लेखन के माध्यम से साहित्य के उन पहरुओं को चुनौती दी है, जो सत्य को एक सुनिश्चित साँचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के उपेक्षित कोने में पनपते साहित्य को हाशिये पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं।

पाठ का सार

यह आत्मकथा उस नायिका या लेखिका की है, जो तेरह वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के तीन बच्चों की माँ बन जाती है। पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है।

लेखिका की पारिवारिक चिंताएँ

लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने तीन छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी से अपने लिए काम ढूँढ़ने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापिस आती, तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछतीं। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थीं।

लेखिका की पहचान सुनील नामक एक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने आठ सौ रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला-बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी।

जिस मकान में वह रहती थी, उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह-तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी।

मकान मालिक की आत्मीयता

उसके मकान मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या-क्या करती है? लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को 'तातुश' कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातुश ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा, तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए।

एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ पृष्ठ लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया।

लेखिका का बेघर होना

उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और अनावश्यक रूप में परेशान करते थे। घर में बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी।

एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूँढ़ने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दु:ख था कि दो भाई नजदीक में रहने के बावजूद उसकी सहायता नहीं कर रहे थे।

तातुश का सहारा एवं प्रोत्साहन

तातुश को बेबी का घर टूटने का पता चला, तो उन्होंने अपने घर में उसे कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुश के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातुश बहुत ख्याल रखते। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी अन्य जगह काम करता था। वह उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। तातुश उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे।

लेखिका द्वारा लेखन कार्य प्रारम्भ

लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुश के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएँ लिखने लगी। तातुश के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुँचे। उसने उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह-तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुश उससे न मिलते, तो यह जीवन कहाँ मिलता।

'आलो-आँधारि' का अस्तित्व में आना

लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया था। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी। परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुश के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में वह दिन भी आ गया, जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था—'आलो-आँधारि' लेखिका बेबी हालदार यह देख बेबी अत्यंत प्रसन्न थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया।